मिशन शक्ति 5.0

अक्सर ऐसा देखा गया है कि नवजात बच्चों को किसी एकांत स्थान पर छोड़ दिया जाता है

पारिवारिक अनदेखी के कारण छोटे बच्चें घरों से दूर निकल आते हैं और फिर कभी वापस नहीं जा पाते,

कुछ परिवारों द्वारा स्वंय भी आर्थिक व सामाजिक परिस्थितियों के कारण बच्चों का परित्याग कर दिया जाता है,

यदि ऐसे बच्चे संर्पक में आयें तो उन्हें अनदेखा न करें, उनकी जानकारी

चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 या महिला हेल्पलाइन 181 को दें

अथवा जिला बाल संरक्षण इकाई / जिला प्रोबेशन कार्यालय से संपर्क करें।

सोशल मीडिया के माध्यम से ऐसे संदेश जो ऐसे बच्चों को गोद देने की पेशकश करते हैं, गैर-कानूनी और दण्डनीय है।

बच्चों को कानूनी रूप से गोद लेने हेतु https://cara.wcd.gov.in पर आवेदन करें।

ऐसे बच्चों को

उ.प्र. मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य)

देय लाभ: रूपये 2500 प्रतिमाह

आय सीमा: वार्षिक आय अधिकतम रु0 3 लाख

से जोड़ने के लिए सम्पर्क करें।

CALL 181 WOMEN HELPLINE

महिला एवं बाल विकास विभाग, उत्तर प्रदेश

@upwcd @upmahilakalyan upmahilakalyan upmahilakalyan

Scanned with OKEN Scanner